पत्रिका

5 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में की जाएगी पूछताछ

सीबीआई लेगी फर्जी जीएसटी अधिकारी के वाइस सैंपल, निकालेगी कॉल डिटेल

17 जुलाई तक रिमांड पर फर्जी अधिकारी अनिल गुप्ता

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. सीबीआई पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले फर्जी जीएसटी अधिकारी अनिल गुप्ता का वाइस सैंपल लेने के साथ ही कॉल डिटेल के बारे में पूछताछ करेगी। इसके लिए आरोपी को 17 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है। सीबीआई ने सोमवार को उसे विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। सीबीआई के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी 2025 को वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास पांच लाख की रिश्वत लेते जीएसटी विभाग के वाहन चालक विनय राय और सेंट्रल जीएसटी दफ्तर में छापेमारी कर सीजीएसटी के अधीक्षक भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन, सूत्रधार अनिल गुप्ता उर्फ मिश्रा फरार हो गया था। जांच के दौरान आरोपी अनिल गुप्ता की बातचीत का रिकॉर्ड मिला है। इसके मिलान के लिए वाइस सैंपल लेने की जरूरत है। इस पर विशेष न्यायधीश ने तीन दिन के रिमांड आवेदन को मंजूरी दी। 7 जुलाई को अनिल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जानिए...यह है मामला

सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 28-29 जनवरी 2025 को दुर्ग के मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में छापा मारा था। गड़बड़ी पकड़े जाने पर संचालक लालचंद अठवानी से 34 लाख रुपए की डिमांड की गई। इस दौरान अनिल गुप्ता ने स्वयं को जीएसटी अधिकारी बताकर कर पूरा मामला 5 लाख में सेट कराने का आश्वासन दिया। इस पर सीबीआई ने 31 जनवरी को विनय को पकड़ा था। उससे मिली जानकारी के आधार पर सीजीएसटी के दफ्तर में छापा मारा गया था।

15/07/2025 | Raipur City | Page : 5
Source : https://epaper.patrika.com/